न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 146 / 2011 सत्रवाद <u>संस्थित दिनांक 04–07–2011</u> मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद चौक जिला भिण्ड म०प्र०।

–अभियोजन

बनाम

- राजेन्द्रप्रसाद पुत्र हुकमसिंह जाटव उम्र 55 वर्ष।
- जसवंत जाटव पुत्र हुकमसिंह.....**फौत**
- WIND ALE STATE OF STA पंजाब सिंह उर्फ पूर्ता पुत्र जसवंतसिंह जाटव उम्र 25 वर्ष।
 - नवलसिंह पुत्र जसवंत जाटव उम्र 27 वर्ष।
 - हीरासिंह पुत्र जसवंत जाटव उम्र 30 वर्ष।
 - अंतरसिंह पुत्र विजयराम जाटव उम्र 58 वर्ष। 6.
 - सुरेशचन्द्र पुत्र विजयराम जाटव उम्र 55 वर्ष। 7.
 - धारासिंह उर्फ पटेल पुत्र अंतरसिंह जाटव उम्र 8. 35 वर्ष। समस्त निवासी ग्राम चिनकू पुरा थाना गोहद चौक जिला भिण्ड म0प्र01

.....अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गीहद श्री सुशील कुमार के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क० ४०२ / २०११ इं०फौ० से उदभूत यह सत्र प्रकरण क0 146/2011

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर। अभियुक्तगण द्वारा श्री गंभीर सिंह निगम अधिवक्ता।

/ / नि - र्ण - य / /

//आज दिनांक 04-11-2015 को घोषित किया गया//

आरोपीगण का विचारण धारा 148, 307, 307 / 149 के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 15–11–10 को करीब 9:00 बजे स्थान

अतरसिंह जाटव के मकान के सामने चिनकूपुरा में सह आरोपीगण राजेन्द्र, जसवन्त, नवलसिंह, पूता, सुरेश, अतरसिंह, धारासिंह विधि विरुद्ध समूह के सदस्य रहे जिसका सामान्य उद्देश्य हत्या का प्रयास करना था सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा करने का अपराध कारित किया और उस समय वह घातक अस्त्र 12 बोर बन्दूक जिसे आकामक आयुध के रूप में प्रयोग किये जाने पर मृत्यु कारित होना संभाव्य था से सज्जित रहे। उन पर यह भी आरोप है कि उसी दिनांक, समय व स्थान पर तुम सह आरोपीगण के साथ विधि विरूद्ध समूह के सदस्य थे जिसका सामान्य उद्देश्य आहत सन्तोष को प्राणंतिक उपहित कारित करना ऐसी परिस्थितियों में रहा था जिससे उसकी मृत्यु हो जाती तो हत्या के दोषी रहते जिसे अग्रसर करने में उस पर फायर किये जिससे उसकी मृत्यु हो जाती तो हत्या के दोषी होते जिसमें सन्तोष को उपहित कारित हुयी, जिसे तुम उक्त समूह के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कारित किया जावेगा ऐसा संभाव्य होना जानते थे।

02. यह अविवादित है कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा के आधार पर आरोपीगण को धारा 294, 323, 323 / 149, 506 भाग—2 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह भी अविवादित है कि आरोपी जसबंत की प्रकरण के लंबन के दौरान मृत्यु हो जाने से उसके बंध में अपराध का उपशमन हो चुका है।

03. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 15—11—10 के 9:00 बजे अतरसिंह जाटव के मकान के सामने रास्ता में ग्राम चिनकूपुरा में फरियादी भवंरसिंह ने घायल अवस्था में संतोष एवं उसकी पिन बसंती ने अस्पताल आकर रिपोर्ट की कि उसकी पिन बसंती दुकान पर सब्जी लेने गई थी जैसे ही अतरसिंह के दरवाजे पर पहुंची तो जसवंत जाटव व हीरासिंह ने उसे घेरकर बोले मादरचोद की चूित मारी की को पकड लो और उसकी पकड़कर मारपीट करने लगे उसकी पिन चिल्लाई तो उसे बचाने उसका लड़का संतोष आया तो राजेन्द्र 12 बोर बंदूक लिये, जसवंत लाठी लिये तथा हीरासिंह लाठी लिये, नवलसिंह 12 बोर बंदूक लिये, पूता लाठी लिये, सुरेश, अतरसिंह, दारासिंह सभी जाति जाटव एकराय होकर आ गये और गंदी गंदी गालियां देने लगे मना किया जो नवलसिंह ने जान से मारने की नियत से बंदूक से गोली मारी जो संतोष के दांये हाथ में लगी चोट लगकर खून आया, एक फायर राजेन्द्र ने 12 बोर बन्दूक से फायर किया जो उसके सिर में लगा खून वहने लगा इतने में सभी लोगों ने लाठियों से उसकी व उसकी पित्न व लड़का को मारने लगे जिससे उन्हें चोटें आई घटना रूबी पुत्र महावीर जाटव तथा अजय जाटव ने देखी । उक्त आशय की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा देहाती नालिसी लेखबद्ध की गई एवं तत्पश्चात् अप0कं0

176/10 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया । विवेचना दौरान आरोपीगण को गिरफतार किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से कमिटल कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. आरोपीगण राजेन्द्र एवं नवलिसंह का विचारण धारा 148, 307, 323/149, 294, 506/34 भाग—2 एवं आरोपी हीरासिंह का विचारण धारा 148, 307/149, 323, 294, 506/34 भाग—2 एवं शेष आरोपीगण का विचारण धारा 148, 307/149, 323/149, 294, 506/34 भाग—2 भाठदंठविठ के विरुद्ध उक्त धाराओं का अरोप पाये जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई। धारा 323, 323/149, 294, 506 भाग—2 भाठदंठविठ के संबंध में पक्षकारों के मध्य राजीनामा स्वीकार होने से आरोपीगण को उक्त धाराओं के आरोप से दोषमुक्त किया गया है।

05. धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूटा फसया जाना.अभिकथित किया है। बचाव में कोई साक्षी पेश नहीं किया गया है।

06. आरोपीगण के विरूद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

- 1. क्या दिनांक 16.11.2010 को नो बजे अंतरसिंह जाटव के मकान के सामने ग्राम चिनकू पुरा थाना गोहद चौक क्षेत्र में विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य फरियादी भवरसिंह, संतोष एवं बसंती को उपहित कारित करने एवं हत्या के प्रयास का था सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया और इस दौरान घातक आयुध बंदूक से सुसज्जित थे?
- 2. क्या आरोपीगण के द्वारा आहत संतोष को जान से मारने की नियत से इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी हो जाते उस पर बंदूक से गोली चलाई गई?
- 3. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आहत संतोष को मारकर से उपहित कारित की?
- 4. क्या उक्त दिनांक समय स्थान पर विधि विरूद्ध समूह के सदस्य रहते हुए आहत संतोष पर प्रांण घातक उपहति कारित की?

-: सकारण निष्कर्ष:-

बिन्दु क्रमांक ०१ लगायत ०४ :-

- 07. घटना के फरियादी भवरसिंह अ0सा0 1 ने अपने साक्ष्य कथन में आरोपीगण को पहचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि सुबह 9—10 बजे का समय था वह अपने घर पर था, उसकी पत्नी बसंती दुकान पर सब्जी लेने जा रही थी। उसे पता चला कि 6—7 लोग उसकी पत्नी की मारपीट कर रहे थे। वह पहुँचा तो उसे भी चोटें आई और संतोष को भी चोटें आई थी। वह थाने गया था, थाने पर देहातीनालसी प्र.पी. 1 लिखी गई थी जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने देहातीनालसी रिपोर्ट प्र.पी. 1 में आरोपीगण का नाम लिखाने से इन्कार किया है। इस प्रकार फरियादी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। अभियोज के द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है, किन्तु इस दौरान भी उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है।
- 08. अभियोजन प्रकरण के संबंध में घटना का अन्य आहत साक्षी संतोष अ०सा० 6 अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि घटना के समय वह दरवाजे के बाहर बैठा था, उसकी मॉ बसंती सब्जी लेने के लिए गई थी। जैसे ही अतरिसंह के दरवाजे के सामने पहुँची तो जसबंतिसंह और हीरासिंह ने उसे आगे से घर लिया और मॉ बसंती को गालियाँ दी और पकड़ कर मारपीट करने लग गए। उसकी मॉ बसंती चिल्लाई तो वह और उकसे पिता बचाने गए थे। उसके पिता को सिर में चोट आई थी और उसे हाथ में गोली लग गई थी। साक्षी घटना स्थल पर काफी भीड़ इकठ्ठी होना और उसके हाथ में गोली लगना बता रहा है।
- 09. अभियोजन साक्षी बसंती अ०सा० 2 जिसके साथ घटना प्रारंभ होना बताया जा रहा है। साक्षिया बसंती के द्वारा केवल यह बताया गया है कि घटना दिनांक को वह सब्जी लेकर बापस घर लौट रही थी तो आरोपी के दरवाजे पर भीड लगी थी और इस दौरान भीड में धक्का लगने से वह गिर पड़ी थी और उसे चोटें आई थी। इस प्रकार उक्त साक्षिया के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षिया को अभियोजन पक्ष के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे है, किन्तु इस दौरान भी उसके द्वारा घटना में आरोपीगण के मौजूद होने अथवा उनके द्वारा कोई घटना कारित किये जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है।
- 10. उपरोक्त संबंध में अभियोजन साक्षी संतोष अ०सा० 6 के कथन का जहाँ तक

प्रश्न है, उक्त साक्षी के द्वारा उसकी माँ बसंती को अतरिसंह के दरवाजे के सामने जसबंतिसंह और हीरासिंह के द्वारा घेर लेना और उसे माँ बहन की गालियाँ देकर मारपीट करने के संबंध में आंशिक रूप से अभियोजन प्रकरण का समर्थन किया गया है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक उस पर प्रांण घातक हमला होने एवं उसकी चोट का प्रश्न है। इस संबंध में साक्षी केद्वारा यह बताया गया है कि भीड में उसके हाथ में गोली लग गई थी। गोली किसने मारी वह देख नहीं पाया था। पिता की चोट के संबंध में भी उनकी चोट किस के द्वारा मारी गई थी यह न बता पाना वह अभिकथित किया है। इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन के द्वारा उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

- जहाँ तक पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य कथन का प्रश्न है। इस संबंध में सतपालसिंह वि0 दिल्ली एडिमस्ट्रेशन ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 295, खु ज्जी उर्फ सूरेन्द्र तिवारी वि० स्टेट ऑफ एम.पी. ए.आई.आर. 1991, 1853 में यह अभिधारित किया गया है कि गवाह यदि पक्षद्रोही हो गए हो तो उसकी पूरी साक्ष्य वाशआउट या निरर्थक नहीं हो जाती। पक्षद्रोही साक्षी का साक्ष्य कथन जिस सीमा तक अभियोजन प्रकरण का समर्थन करता है उस सीमा तक मान्य किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, उसकी माँ बसती के साथ आरोपी जसबत और हीरासिह के द्वारा अश्लील गाली गलोज करने और उसे मारपीट करना साक्षी के द्वारा बताया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि धारा 294, 323, 323 / 149 व 506 भाग-2 भा0दं0वि0 के अपराध में पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने से आरोपीगण को दोषमुक्त किया जा चुका है। आरोपीगण जसबंत एवं हीरासिंह की घटनास्थल पर मौजूदगी के संबंध में उक्त साक्षी के द्वारा बताया गया है, किन्तु घटनास्थल पर कोई विधि विरूद्ध जमाव का गठन होना अथवा उसके सदस्य उक्त आरोपीगण के रहने के संबंध में उसके साक्ष्य के आधार पर कोई पुष्टि नहीं होती है। यह उल्लेखनीय है कि आरोपी जसबंत की मृत्यु हो चुकी है। इसके अतिरिक्त आहता बसंती के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में कहीं भी आरोपी जसबंत और हीरासिंह के द्वारा उसे गाली गलोज करने अथवा उसके साथ मारपीट करने के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताया है। जबिक वह इस संबंध में पीडित पक्षकार है। ऐसी दशा में साक्षी संतोष अ०सा० 6 के कथन के आधार पर आरोपीगण हीरासिंह के विरूद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।
- 12. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी बाबूराम अ०सा० 3, अजयसिंह अ०सा० 4, रिव अ०सा० 5 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षीगण को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न

पूछे गए है, किन्तु इस दौरान भी उनके कथनों में किसी भी बिन्दु पर अभियोजन प्रकरण का समर्थन या पुष्ट करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है।

- अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में साक्षी बी.एल.बंसल अ०सा० ६ जो कि दिनांक 15.11.2010 को थाना गोहद चौराहे पर सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था के द्वारा देहातीनालसी रिपोर्ट प्र.पी. 1 फरियादी भवरसिंह के बताए अनुसार लेखबद्ध करना जिस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना तथा उक्त दिनांक को घटनास्थल पर पहुँचकर घटनास्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 8 तैयार करना बताया है तथा आरोपी जसबंत से एक वॉस की लाठी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 9 बनाया जाना एवं घटनास्थल अंतरसिंह के दरवाजे से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी और टी-शर्ट जिस पर गोली लगने के निशान थे वह जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 10 तैयार करना जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त दिनांक को ही पंजाबसिंह के कब्जे से एक लाठी रखनी बबूल की जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 11 तैयार करना जिस पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। इसके अतिरिक्त साक्षी संतोष, बसंती, रवि एवं साक्षी भवरसिंह के कथन लेखबद्ध करना व आरोपी नवलसिंह, हीरासिंह की गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 14 व 15 तैयार करना व आरोपी हीरासिंह के पेश करने पर एक वॉस की लाठी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 16 तैयार करना बताया है। इसके अतिरिक्त आरोपी अंतरसिंह, आरोपी धारासिंह को गिरफ्तार करना बताया है। आरोपी नवलसिंह से पूछताछ करने पर उसके द्वारा 12 बोर की बंदूक जो घटना में प्रयुक्त की गई उसे बक्से में रखा होना और बरामद करा देना बताया था जो कि मेमोरेडम कथन प्र.पी. 19 है। आरोपी राजेन्द्र को गिरफतार गिरफतारी पत्रक प्र.पी. 20 का तैयार किया गया था।
- 14. विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही का जहाँ तक प्रश्न है, मात्र विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही के आधार पर जबकि घटना के आहतगण एवं साक्षियों के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। विवेचना के कथनों के आधार पर जो कि उनके द्वारा की गई जप्ती की कार्यवाही का समर्थन किसी स्वतंत्र साक्षी से समर्थित नहीं है उससे अभियोजन प्रकरण की कोई सम्पुष्टि होनी नहीं पाई जाती है।
- 15. राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श सी1 के अनुसार परीक्षित किये गए बंदूक ए1 को फैक्ट्री निर्मित बन्दूक होना पाया गया है जो कि चालू हालत में होनी बताई गई है और कारतूसों को भी जीवित होना पाया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त जप्तशुदा बंदूक राजेन्द्रप्रसाद की लाइसेंसी बंदूक है। उक्त बंदूक के अंतिम बार

फायर किया जाने के संबंध में भी कोई अभिमत रिपोर्ट में नहीं है। परीक्षण हेतु भेजा गया जर्सी में पाए गए छिद्र का जहाँ तक प्रश्न है, परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार वह छिद्र लेकप्रोजेक्टायल से हुआ है, किन्तु ऐसा कहीं भी साक्षी में नहीं आया है कि आरोपीगण या किसी आरोपी के द्वारा कोई गाली चलाई गई हो जिससे कि उक्त छिद्र जर्सी में आया हो। राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श सी2 जिसमें कि घटनास्थल की मिट्टी एवं टी-शर्ट पर रक्त होना पाया गया है और टी-शर्ट में मानव रक्त होना पाया गया है। उसके आधार पर आरोपीगण को अपराध में संलग्न होने के संबंध में कोई अवधारणा नहीं की जा सकती है।

- उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई समग्र 16. अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का वर्तमान प्रकरण आरोपीगण के विरूद्ध प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। अभियोजन का प्रकरण प्रमाणित होना न पाते हुए आरोपीगण राजेन्द्र, नवलसिंह को धारा 148, 307 भा०दं०वि० के आरोध से दोषमुक्त किया जाता है एवं शेष आरोपीगण हीरासिंह, पूता उर्फ पंजाबसिंह, अंतरसिंह, सुरेश और धारासिंह को धारा 148, 307 / 149 भा0द0वि० के आरोप से दाषमुक्त किया जाता है।
- प्रकरण में जप्तशुदा 12बोर की एकनाली बंदूक जिसका नम्बर 2383 एवं दो 17. जिन्दा कारतूस एवं एक आर्म्स लाइसेंस नवम्बर MP/BHD/I/242/98B जो कि राजेन्द्रप्रसाद से जप्त है। उपरोक्त संबंध में राजेन्द्रप्रसाद के द्वारा वैध एवं प्रभावी लाइसेंस पेश करने पर ्रान लाठियाँ, र ्रान लाठियाँ, र ्रान अवधि पश्चात् नष्ट र ्रान निर्देशां का पालन किया जावे मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया पाल) शिश पड अपील पश्चात् करने के पश्चात् बापस की जावे। प्रकरण में जप्तशुदा तीन लाठियाँ, खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी एवं एक टी-शर्ट मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्दोशों का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

(डी0सी0थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड